

बाल मतिर पुलसि स्टेशन का नरिमाण

चरचा में क्योँ ?

गौरतलब है कि शीघ्र ही राजस्थान के धौलपुर में राज्य के प्रथम 'बाल मतिर पुलसि स्टेशन' का नरिमाण कया जाएगा। इसके माध्यम से बाल शर्म, बाल वविह और यौन अपराधों के वरिद्ध बनाए गए कानूनों के प्रतिबच्चों में जागरूकता का प्रचार-प्रसार कया जाएगा।

बाल मतिर पुलसि स्टेशन की ज़रूरत क्योँ ?

- दरअसल, हमारे पुलसि स्टेशन बाल अधिकारों के अनुकूल नहीं हैं। जब कोई बाल आरोपी या बाल पीड़ित पुलसि स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ उसके मुताबकि माहौल नहीं होता है।
- पुलसि वाले भी मानसकि रुप से इसके लयि तैयार नहीं होते कि उन्हें बच्चों के साथ कसि तरह पेश आना है और उन्हें पुलसि स्टेशन में कैसे रखना है।
- ऐसे में यह ज़रुरी है कि पुलसि स्टेशन को इस तरह बनाया जाए, जहाँ बच्चों को कसिी तरह की दकिक्त न हो।
- वदिति हो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक बाल मतिर पुलसि स्टेशन बनाने का नरिदेश दया गया है।
- आयोग का प्रयास है कि थानों में बच्चों के लयि आवश्यक सुवधिाएँ हों और पुलसिकर्मी भी बाल अधिकारों को लेकर मानसकि तौर पर तैयार और संवेदनशील हों।
- 'बाल मतिर पुलसि स्टेशन' को एक रंगीन और आकर्षक बाल कारागार के तौर पर वकिसति कया जाता है। पुलसि स्टेशन के बाल कारागार को गुलाबी रंग से पेंट कया जाता और इसमें बच्चों के लयि खलौने और अध्ययन सामग्री भी रखी जाती है।
- गौरतलब है कि कसिी अपराध के मामले में पकड़े जाने पर 18 साल से कम उम्र के कशिोरोँ एवं बच्चों को भी पहले पुलसि स्टेशन में ले जाया जाता है और बाद में सुधार गृह या कसिी दूसरे संरक्षण गृह में भेजा जाता है।